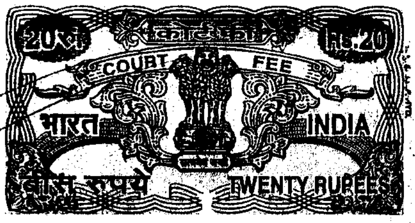

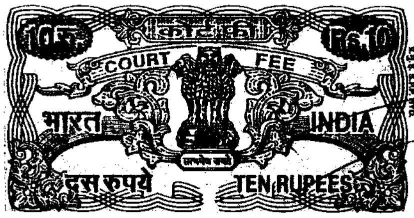

244

निग० 627-I/17

-1-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक / 17

दिनांक 9-2-17 को श्रीमती रेजनी वरिष्ठ शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।

9-2-17

9/2/17

9-2-17

1—माया सिंह पति फूल सिंह

2—अनुपम पिता फूल सिंह

3—शीतल पिता फूल सिंह

निवासी इटवांखास तहसील व

जिला पन्ना म0प्र0

———निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

———गैरनिगरानीकर्ता

किशोर कुमार दीक्षित

निवासी इटवांखास तहसील व

जिला पन्ना म0प्र0

——तरतीवी पक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2016 पारित द्धारा तहसीलदार तहसील पन्ना जिला पन्ना प्र0क0 98 / अ–6(अ) / 2015—16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी अंदर अवधि निम्न प्रकार पेश है ।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 627--एक / 17 जिला --पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9. 2.17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पन्ना जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 98 / अ--6 / (अ) / 2015--16 में पारित आदेश दिनांक 26.12.16 के विरूद्व म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 की धारा--50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2-- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि कलेक्टर जिला पन्ना म0 प्र0 के पत्र क्रमांक 361 / शिकायत / 2016 पन्ना दिनांक 2.7.16 से श्री किशोर कुमार दीक्षित निवासी ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना जिला पन्ना द्वारा प्रस्तुत शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ग्राम इटवांखास में सैकड़ो एकड भूमि के फर्जी पटट्ो की जांच कर निरस्त किया जावे एवं कब्जे के आधार पर वैध कृषकों के पटट्े अमल कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त शिकायत पर म0 प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 की धारा--115--116 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर गुण दोषों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में की गई पृवष्टि को संशोधित करें तथा फर्जी प्रविष्टि करने वालों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषियों के विरूद्व विधि सम्मत कार्यवाही के निर्देश सहित प्राप्त हुआ। इस पर से तहसीलदार पन्ना द्वारा म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 की धारा--115--116 के तहत ग्राम इटवांखास स्थित आराजी क्रमांक 60, 62, 77 / 2 रकवा क्रमशः 6.718, 5.140, 2.023 है0 से माया सिंह पति फूलसिंह अनुपम, शीतल, पिता फूलसिंह निवासी इटवांखास तहसील	

पन्ना जिला पन्ना का नाम विलोपित कर भूमि जंगल म0 प्र0 शासन दर्ज किये जाने का आदेश दिया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जिस पर आवेदकगण का सर्वसाधारण व शासन की जानकारी में पैत्रक कब्जा मालकाना हक चला आ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्रीमती मद्यमनी कुंवर साहिबा बनाम स्टेट विन्ध्य प्रदेश में पारित निर्णय दिनांक 21.2.1961 के द्वारा महारानी त्रिपुरा राज घराने को ग्राम इटवांखास की भूमि के संबंध में पटट्ा देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। उक्त अधिकार के कियान्वयन हेतु राज परिवार द्वारा कामदारों की नियुक्ति की गई थी। उक्त भूमि पूर्व में गुलाब सिंह तनय कीरत सिंह के स्वत्व कब्जा की भूमि रही है। उन्होंने अपने जीवन काल में आवेदकगण के सम्मुख उक्त भूमि अपने नाती श्री दीपक सिंह तनय श्री फूलसिंह को [illegible] के आधार पर दी थी चूंकि दीपक सिंह आवेदिका कमांक –1 का पुत्र व आवेदक कमांक–2 एव 3 का भाई था और दीपक सिंह की मृत्यु अचानक एक्सीडेंट में दिनांक 30.12.12 को हो गई थी, इसलिये उक्त आवेदकगण के नाम मृतक के प्रथम श्रेणी वारिसान होने के कारण विधिवत् नामांतरण पंजी कमांक 21 पर आवेदकगण के नाम भूमि स्वामी खाते में दर्ज की गई है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि किशोर कुमार दीक्षित केवल शिकायतकर्ता है और शिकायतकर्ता निगरानी करने का अधिकार नहीं रखता है। इसी तहर से **राजस्व निर्णय 1984 पृष्ठ 61 मुरारीलाल तथा अन्य विरूद्व म0प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा**

50 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाहियां—अर्थ—शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियां पुनरीक्षण हेतु आवेदन पर संस्थित की गई कार्यवाहियां नहीं मानी जा सकती। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि आवेदकगण के नाम दर्ज की गई उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्व आज दिनांक तक कोई अपील या निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम आदेश है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे। वारसान नामांतरण आदेश दिनांक 30.7.12 स्थिर रखते हुये तहसीलदार पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.16 निरस्त किया जावे।

4— अनावेदक—1 शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे। अनावेदक—2 तरतीवी पक्षकार है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमो में उल्लेख किया गया है।

5— प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया तथा प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा वर्ष 2014—15 में आवेदकगण के नाम अंकित हैं तथा उसमें कॉलम नम्बर 12 में स्पष्ट लेख किया गया है कि " श्रीमान तहसीलदार तहसील पन्ना के प्रकरण कमांक 21 आदेश दिनांक 30.7.12 के अनुसार वारसाना नामांतरण स्वीकृत" इससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार पन्ना द्वारा नामांतरण किया गया है । आदेश दिनांक 26.12.16 पारित करते हुये तहसीलदार द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। इससे

स्पष्ट है कि किसी आदेश या सहमति का राजस्व अभिलेख. में उल्लेख न होने से काश्तकार या आवेदकगण को कोई दोष नहीं है यह प्रशासनिक भूल व गलती है जिसकी सजा आवेदकगण को नहीं दी जा सकती।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार पन्ना का प्रकरण कमांक 98 / अ—6 / (अ) 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 26.12.16 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पन्ना द्वारा नामांतरण प्रकरण कमांक 21 आदेश दिनांक 30.7.12 के अनुसार दीपक सिंह के वारिसानों का नामांतरण स्वीकृत किया जाता है।

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य